कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2552233
ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–890ए/ 408 रायपुर, दिनांक 27/02/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– **आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजिटल फायबर प्रा. लि. रायपुर द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.963 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।**
पंजीयन कमांक – FP/CG/OFC/123989/2021

संदर्भः– 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ – 5–05/ 2022/ 10–2 दिनांक 10.01.2023
2. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/तक/ 932 दिनांक 13.02.2023

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र – 1 द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वन मण्डल अन्तर्गत जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि.द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए 2.963 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त से संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:–

शर्त क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
01.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है ।
02.	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है ।
03.	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है ।
04.	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचे इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है ।

13.	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को निवेदन करेंगे।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है ।
14.	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है ।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। अतः कृपया प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है।

संलग्नः– संलग्नक 1 से 13 तक (02 प्रतियों में)

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–ए/115– 890ए/ 409 रायपुर, दिनांक 22/02/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
   — लीनियर प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन की शर्त पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 10.01.2023 में राज्य शासन द्वारा अधिरोपित समस्त 14 शर्तो का पालन किया जायेगा। **यह अनुमति एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी।** प्रकरण में किसी भी वृक्ष का विदोहन नहीं किया जायेगा।
3. **महाप्रबंधक (कार्पोरेट. अफेयर्स)** ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
OK छत्तीसगढ़